



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

08 अरेरा हिल्स, जेल रोड़ भोपाल



क्रमांक / एन.एच.एम / एच.आर / 2019 / 10168
प्रति,

भोपाल दिनांक: 13/09/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड
भोपाल, म.प्र.।

विषय:—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने एवं परीक्षा आयोजित करने के संबंध में।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक MPO/BD/10338 Bhopal, Date 15 July 2019.

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने एवं ऑनलाईन परीक्षा आयोजित करने हेतु प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) के 187 रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जाने हेतु आवश्यक नियमावली का प्रारूप संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया शीघ्रातीशीघ्र कार्यवाही कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
(संलग्न उपरोक्तानुसार)

[Signature]
(वषा भूरिया)
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाईजर (STS) एस.टी.एस. के रिक्त

पदों की पूर्ति हेतु

नियम पुस्तिका

(2019–20)



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अतंर्गत निम्न रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पद का विवरण:-

क्र	पद	पद संख्या
1	संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाईजर (STS)	187

2. चयन प्रक्रिया—

उपरोक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः—

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाईजर (STS)	187	20,000 रुपये प्रतिमाह	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी.(विज्ञान) / बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिक (बी.पी.टी) एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर	21–40 वर्ष अधिकतम् आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/08/2019 की स्थिति में)

3. संविदा पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

पद का नाम	स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 20%		अनुसूचित जाति 16%		अन्य पिछड़ा वर्ग 27%		योग
		पुरुष	महिला		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाईजर (STS)	187	42	21	7	25	12	20	10	34	16	187

1. आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक उपाधि।

- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु बी.एस.सी.(विज्ञान) / बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.) तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर की अंकसूची ।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो) ।
 - मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
2. आवेदक अपना मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. की सटीक जानकारी आवेदन पत्र में अंकित करें। आवेदकों को सूचना न मिलने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिम्मेदार नहीं होगा।
 3. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
 4. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
 5. वरीयता निर्धारिण हेतु दशमलव के 2 अंकों तक विवेचना में लिया जावेगा।
 6. लिखित परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यार्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त की जाने की स्थिति में वरीयता का क्रम निम्नानुसार होगा:—
 क—अधिक उम्र वाले अभ्यार्थियों को कम उम्र वाले अभ्यार्थियों पर प्राथमिकता ।
 ख—एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यार्थी होने पर, अनिवार्य बी.एस.सी. (विज्ञान) / बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.) तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता ।
 7. ऑनलाईन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जावेगी।
 8. दावा आपत्ति परीक्षा उपरांत एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार की जावेगी।
 9. चयन उपरांत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के मानव संसाधन मैनुअल के अनुसार नियुक्ति कार्यवाही/अनुबंध किया जायेगा।
 10. आवश्यक अर्हता धारण करना अथवा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना चयन की गारंटी नहीं होगा। नियुक्ति के पूर्व मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसके सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी की पदस्थापना की जावेगी।
 11. मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगा।
 12. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/संपूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
 13. परीक्षा केन्द्र आवश्यकतानुसार घटाये/बढ़ाये जा सकते हैं।
 14. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
 15. विभाग द्वारा द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
 16. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।

17. अभ्यार्थी में गर्भधारण होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमाक सी 3–10/2016/1/3 दिनांक 1/11/2016 के तारतम्य में अस्थायी मेडिकल अनफिट रहेंगे।
18. अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमाक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04/जुलाई/2019 द्वारा एवं समय–समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे।
19. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध अपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, अनहोंगा (पात्र नहीं होगा)।
20. उक्त पद मैदानी कार्यकर्ता का होता है इस कारण निःशक्तजनों द्वारा संभव नहीं है। अतएव इस पद को निःशक्तजन की नियुक्ति के लिये जनहित में चिन्हित नहीं किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु
संशोधित यात्रा भत्ता नियम

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन—मंत्रालय—भोपाल के परिपत्र क्रमांक 4-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/11/2016 द्वारा राज्य शासन के अधिकारीयों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अनुकम में एन.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा सलाहकारों/अन्य संविदा कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर यात्रा भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1/ वर्गीकरण:—

श्रेणी (1)	संविदा मानदेय (2)
ए	60,000 या उससे अधिक
बी	50,000 या उससे अधिक
सी	30,000 या उससे अधिक
डी	30,000 से कम

2/ दैनिक भत्ता:— यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार देय दैनिक भत्ता ;पूरक नियम 30) मुख्यालय भत्ता ;पूरक नियम 25 की टिप्पणीद्वारा विशेष विराम भत्ता ;पूरक नियम 55—ए अनुसार) को समेकित किया गया है। समेकित दैनिक भत्ते की दर पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों ;कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़करद्वे के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे के लिये दर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	250	375	500
बी	200	300	400
सी	150	225	300
डी	125	185	250

स्थानीय परिवहन हेतु ऑनलाईन पेड टैक्सी/प्रीपेड टैक्सी बूथ के देयक प्रस्तुत करने पर उपरोक्तापुसार प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

3/ यात्रा के साधन:—

श्रेणी	हवाई यात्रा (1)	रेलगाड़ी से यात्रा (2)	बस से यात्रा (4)
		(3)	
ए	इकनाँमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एकजीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एकजीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर—एस.टी.एस.
के कार्यदायित्वों का विवरण

1. Assist DTO and MOTC to carry out all TB control activities under RNTCP including PMDT, TB/HIV coordination and PPM.
2. Coordinate with all concerned to ensure that all contacts of sputum positive patients are screened for TB
3. Assist the MO-PHI in organizing DOT services for TB patients in his/her assigned TU
4. Ensure retrieval of defaulters as per schedule.
5. Maintain the TB Register, incorporating required information with respect to all cases diagnosed in the Block/TB Unit; ensure notification of TB Cases in his/her assigned TB Unit
6. Supervise referral and feedback/transfer-in & out activities for TB patients in assigned TB Unit
7. In close coordination with STLS, assist MOTC in preparation of Quarterly Reports on case finding, sputum conversion & treatment outcome, Programme Management and submission to the DTO.
8. Supervise each PHI in the area at least once every month, on a systematic schedule.
9. Assist DTO and MOTC in ensuring regular supply of drugs and other logistics to all PHIs in the Block/TB Unit.
10. Monitoring of consumption of drugs with respect to their shelf life and ensure that no drugs get expired.
11. Retrieve unconsumed medicine boxes of patients who have defaulted/died/transfer out etc.
12. Visit all patients at home before registration and provide health education and counselling to the patients and family
13. Facilitate organizing patient provider interaction meetings and community meetings.
14. To facilitate change management with respect to use of ICT & Nikshay tools for concerned data entry, validation & its use for public health action
15. Any other job assigned as per program need.